रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2008/श्रावण 28, 1930
No. 296] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2008/SRAVANA 28, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

7% बचत बांड, 2002

सं. एफ. 4(13)-डब्ल्यू एंड एम/2002.—भारत सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि इस अधिसूचना के प्रभावी दिनांक के साथ ही निम्नलिखित आशोधन अधिसूचना सं. एफ. 4(13)-डब्ल्यू एंड एम/2002 दिनांक 5 सितम्बर, 2002 (अधिसूचना) में प्रभावी होंगे ।

1. इस अधिसूचना के मौजूदा पैराग्राफ सं. 12 के संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"बांड बही खाता लेखा तथा स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में बांड अंतरणीय नहीं होंगे, सिवाय उस मामले में जबकि इनमें ऐसी व्यवस्था हो अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित अनुबंध 6क अथवा 6ख (जैसा लागू हो) में दिए गए उपयुक्त अंतरण प्रपत्र के निष्पादन द्वारा और धारक द्वारा किसी शपथपत्र के निष्पादन द्वारा किसी संबंधी को उपहार के जरिए देने की व्यवस्था हो । संबंधियों की सूची अनुबंध 7 में दी गई है ।"

2. अधिसूचना के मौजूदा पैराग्राफ सं. 14 के संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"ये बांड द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होंगे । तथापि, ये बांड अनुसूचित बैंकों से ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप में पात्र होंगे, तथा उक्त बांडों के धारक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 28 तथा सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के विनियम 21 और 22 के अनुसरण में अनुसूचित बैंकों के पक्ष में गिरवी या दृष्टिबंधक या ग्रहणाधिकार के सृजन के पात्र होंगे ।"

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

एल. एम. दास, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2008

7% Savings Bonds, 2002

No. F. 4(13)-W & M/2002.— The Government of India hereby notifies that with effect from the date of this Notification, the following modifications shall be effected in Notification No. F. 4 (13)W & M/2002 dated 5th September, 2002 (Notification).

1. For the existing paragraph number 12 of the Notification the following paragraph shall be substituted, namely,

"The Bonds in the form of Bond Ledger Account and Stock Certificate shall not be transferable except as provided herein or by way of gift to a relative as defined in Section 6 of the Indian Companies Act, 1956, by execution of appropriate Transfer Form as given in Annexure 6A or 6B (as may be applicable) and execution of an affidavit by the holder. A list of relatives is given in Annexure 7."

2. For the existing, paragraph number 14 of the Notification the following paragraph shall be substituted, namely,

"The Bonds shall not be tradable in the secondary market. However, the Bonds shall be eligible as collateral for loans from scheduled banks, and the holders of the said Bonds shall be entitled to create pledge or hypothecation or lien in favour of scheduled banks in accordance with Section 28 of the Government Securities Act, 2006 and Regulations 21 and 22 of Government Securities Regulations, 2007."

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

6.5% बचत बांड, 2003 (करेत्तर योग्य)

सं. एफ. 4(9)-डब्ल्यू एण्ड एम/2003.—भारत सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि इस अधिसूचना के प्रभावी दिनांक के साथ ही निम्नलिखित आशोधन अधिसूचना सं. एफ. 4(9)-डब्ल्यू एण्ड एम/2003 दिनांक 13 मार्च, 2003 (अधिसूचना) में प्रभावी होंगे ।

1. इस अधिसूचना के मौजूदा पैराग्राफ सं. 12 के संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"बांड बही खाता लेखा तथा स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में बांड अंतरणीय नहीं होंगे, सिवाय उस मामले में जबकि इनमें ऐसी व्यवस्था हो अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित अनुबंध 6क अथवा 6ख (जैसा लागू हो) में दिए गए उपयुक्त अंतरण प्रपत्र के निष्पादन द्वारा और धारक द्वारा किसी शपथपत्र के निष्पादन द्वारा किसी संबंधी को उपहार के जरिए देने की व्यवस्था हो । संबंधियों की सूची अनुबंध 7 में दी गई है ।"

2. अधिसूचना के मौजूदा पैराग्राफ सं. 14 के संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"ये बांड द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होंगे ; तथापि, ये बांड अनुसूचित बैंकों से ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप में पात्र होंगे, तथा उक्त बांडों के धारक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 28 तथा सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के विनियम 21 और 22 के अनुसरण में अनुसूचित बैंकों के पक्ष में गिरवी या दृष्टिबंधक या ग्रहणाधिकार के सृजन के पात्र होंगे ।"

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

एल. एम. वास, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2008

6.5% Savings Bonds, 2003 (Non-taxable)

No. F. 4(9)-W & M/2003.—The Government of India hereby notifies that with effect from the date of this Notification, the following modifications shall be effected in Notification No. F. 4(9)-W & M/2003 dated 13th March, 2003 (Notification).

1. For the existing paragraph number 12 of the Notification the following paragraph shall be substituted, namely,

"The Bonds in the form of Bond Ledger Account and Stock Certificate shall not be transferable except as provided herein or by way of gift to a relative as defined in Section 6 of the Indian Companies Act, 1956, by execution of appropriate Transfer Form as given in Annexure 6A or 6B (as may be applicable) and execution of an affidavit by the holder. A list of relatives is given in Annexure 7."

2. For the existing, paragraph number 14 of the Notification the following paragraph shall be substituted, namely,

"The Bonds shall not be tradable in the secondary market. However, the Bonds shall be eligible as collateral for loans from scheduled banks, and the holders of the said Bonds shall be entitled to create pledge or hypothecation or lien in favour of scheduled banks in accordance with Section 28 of the Government Securities Act, 2006 and Regulations 21 and 22 of Government Securities Regulations, 2007."

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

8% बचत बांड, 2003 (कर योग्य)

सं. एफ. 4(10)-डब्ल्यू एण्ड एम/2003.—भारत सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि इस अधिसूचना के प्रभावी दिनांक के साथ ही निम्नलिखित आशोधन अधिसूचना सं. एफ 4(10)-डब्ल्यू एण्ड एम/2003 दिनांक 21 मार्च, 2003 (अधिसूचना) में प्रभावी होंगे ।

1. इस अधिसूचना के मौजूदा पैराग्राफ सं. 12 के संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"बांड बही खाता लेखा के रूप में बांड अंतरणीय नहीं होंगे सिवाय उस मामले में जबकि इनमें ऐसी व्यवस्था हो ।"

2. अधिसूचना के मौजूदा पैराग्राफ सं. 15 के संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"ये बांड द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होंगे । तथापि, ये बांड अनुसूचित बैंकों से ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप में पात्र होंगे, तथा उक्त बांडों के धारक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 28 तथा सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के विनियम 21 और 22 के अनुसरण में अनुसूचित बैंकों के पक्ष में गिरवी या दृष्टिबंधक या ग्रहणाधिकार के सृजन के पात्र होंगे ।"

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

एल. एम. वास, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2008

8% Savings Bonds, 2003 (Taxable)

No. F. 4(10)-W & M/2003.—The Government of India hereby notifies that with effect from the date of this Notification, the following modifications shall be effected in Notification No. F. 4(10)-W & M/2003 dated 21st March, 2003 (Notification).

1. For the existing paragraph number 12 of the Notification the following paragraph shall be substituted, namely,

"The Bonds in the form of Bond Ledger Account shall not be transferable except as provided herein."

2. For the existing paragraph number 15 of the Notification the following paragraph shall be substituted, namely,

"The Bonds shall not be tradable in the secondary market. However, the Bonds shall be eligible as collateral for loans from scheduled banks, and the holders of the said Bonds shall be entitled to create pledge or hypothecation or lien in favour of scheduled banks in accordance with Section 28 of the Government Securities Act, 2006 and Regulations 21 and 22 of Government Securities Regulations, 2007."

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.